

## ORDER-SHEET

*The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza,  
Bhopal*

Case No. L00-017/2016

<i>Date of order of proceeding</i>	<i>Order of proceeding with Signature of presiding officer</i>  मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पिपरिया, होशंगाबाद	<i>Signature of parties or pleaders where necessary</i>
14.09.16	<p>आज दिनांक 14.09.2016 को प्रकरण की सुनवाई में आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदक की ओर से श्री सी.के. वलेजा, अधिवक्ता उपस्थित हुए।</p> <p>2 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि वे सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तथा माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा वो उन्हें मान्य है।</p> <p>3 प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक के अभ्यावेदन में दर्शाये गये बिन्दुओं का निराकरण कर दिया गया है। इस बाबत उनके द्वारा आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल को संबोधित पत्र (ओई-ए) प्रस्तुत किया है जिसमें कि उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अनावेदक द्वारा आडिट की राशि को विद्युत देयकों से हटाते हुए अधिभार भी माफ कर दिया है जिसके कारण उनकी शिकायत का निराकरण हो चुका है तथा प्रकरण को समाप्त करने का उनके द्वारा अनुरोध किया है।</p> <p>4 अतः आवेदक को समाधान मिलने के कारण उनकी अपील को नस्तीबद्ध किया जाता है।</p> <p>5 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना-अपना वहन करेंगे।</p> <p>6 आदेश-पत्र की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश-पत्र की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत लोकपाल</p>	

